कार्यालय, रिटर्निंग ऑफिसर राज्यसभा निर्वाचन, छत्तीसगढ़

विधान सभा भवन, रायपुर

छत्तीसगढ़ विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन

निर्वाचन की सूचना

क्रमांक- विधान/रा.स.निर्वाचन/2012 (1) - एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि -

(1) छत्तीसगढ़ विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के एक सदस्य का निर्वाचन होना है ;

(2) नाम-निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर को या उनकी अनुपस्थिति में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को अभ्यर्थी या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा दिनांक 19 मार्च,2012 से अपश्चात् (लोक अवकाश दिन से भिन्न) किसी दिन 11.00 बजे पूर्वाह्न और 3.00 बजे अपराह्न के बीच छत्तीसगढ़ विधान सभा भवन,रायपुर में परिदत्त किये जा सकेंगे ;

(3) नाम-निर्देशन पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान और समय पर अभिप्राप्त किये जा सकेंगे ;

(4) नाम-निर्देशन पत्र संवीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा भवन, रायपुर में दिनांक 20 मार्च, 2012 को अपराह्न 2.00 बजे लिये जाएंगे ;

(5) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना या तो अभ्यर्थी द्वारा या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जो अभ्यर्थी द्वारा उसे परिदत्त करने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया गया हो, ऊपर पैरा (2) में विनिर्दिष्ट ऑफिसरों में से किसी को उसके कार्यालय में दिनांक 22 मार्च,2012 को 3.00 बजे अपराह्न के पूर्व परिदत्त की जा सकेगी ;

(6) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में दिनांक 30 मार्च,2012 को पूर्वाह्न 9.00 बजे और अपराह्न 4.00 बजे के बीच मतदान होगा.

स्थान: रायपुर.
तारीख : 12 मार्च, 2012
(फाल्गुन, 22,1933)

(देवेन्द्र वर्मा)
रिटर्निंग ऑफिसर.

कार्यालय, रिटर्निंग ऑफिसर राज्यसभा निर्वाचन, छत्तीसगढ़
विधान सभा भवन, रायपुर

राज्यसभा में एक सदस्य की पदावधि समाप्त होने पर सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले एक स्थान को भरने हेतु राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन

रायपुर, दिनांक 12 मार्च,2012 (22 फाल्गुन, 1933-शक)

अधिसूचना

क्रमांक-विधान/रा.स.निर्वाचन/2012 (2) - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में . छत्तीसगढ विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्य सभा में एक स्थान को भरने के लिए, जिनका कार्यकाल दिनांक 2 अप्रैल,2012 को समाप्त हो रहा है, निर्वाचन के लिए, मैं देवेन्द्र वर्मा, रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचन आयोग के पूर्वानुमोदन से समिति कक्ष क्रमांक-2, छत्तीसगढ विधान सभा भवन,रायपुर को ऐसे स्थान के रूप में नियत करता हूँ, जहां निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक-318/1/2012 (1) दिनांक 12 मार्च, 2012 के अनुसरण में उक्त निर्वाचन के लिए मतदान होगा.

(देवेन्द्र वर्मा)
रिटर्निंग ऑफिसर.

OFFICE OF THE RETURNING OFFICER,

COUNCIL OF STATES ELECTION, CHHATTISGARH

VIDHAN SABHA BHAWAN, RAIPUR

Biennial Election to the council of States
By the Elected Members of the Chhattisgarh Legislative Assembly

NOTICE OF ELECTION

No.-vidhan/R.S.Election/2012 (1) - Notice is hereby given that -

(1) an election is to be held of a member to the council of States by the elected members of the Chhattisgarh Legislative Assembly;

(2) nomination papers may be delivered by a candidate or by any of his proposers, to the Returning Officer or in his absence to the Assistant Returning Officer, at Chhattisgarh Vidhan Sabha Bhawan, Raipur between11.00 a.m. and 3.00 p.m.on any day (other than public holiday) not later than the 19th March, 2012 ;

(3) forms of nomination paper may be obtained at the place and time aforesaid ;

(4) the nomination papers will be taken up for scrutiny at 2.00 p.m. on 20th March, 2012 at Chhattisgarh Vidhan Sabha Bhawan, Raipur ;

(5) notice of withdrawal of candidatures may be delivered either by a candidate or by any of his proposer or by his election agent who has been authorised in writing by the candidate to deliver it to either of the officers specified in paragraph (2) above at his office before 3.00 p.m. on the 22nd March, 2012 ;

(6) in the event of the election being contested, the poll will be taken on 30th March, 2012 between the hours of 9.00 in the morning and 4.00 in the afternoon.

Place: Raipur
Date : 12 March, 2012
(Phalguna 22,1933)

(DEVENDRA VERMA)
Returning Officer

OFFICE OF THE RETURNING OFFICER,
COUNCIL OF STATES ELECTION, CHHATTISGARH
VIDHAN SABHA BHAWAN, RAIPUR

BIENNIAL ELECTION TO THE COUNCIL OF STATES TO FILL A SEAT OF THE MEMBER ON THE RETIREMENT OF THE EXPIRATION OF THE TERM OF OFFICE

Raipur, Dated 12 March, 2012 (22 Phalguna,1933- Saka)

NOTIFICATION

No.Vidhan/R.S.Election/2012 (2) - In pursuance of the provisions of sub- section (1) of Section 29 of the Representation of the People Act, 1951, I, Devendra Verma, The Returning Officer for the Election by the elected members of the Chhattisgarh Legislative Assembly to fill a seat in the Council of States, on the retirement of a member on 2nd April, 2012, hereby fix, with the previous approval of the Election Commission the Committee Room No. 2, of Chhattisgarh Vidhan Sabha Bhawan, Raipur as the place of poll at which a poll will be taken in pursuance of the Election Commission's Notification No. 318/ 1/2012 (1), dated the 12th March, 2012.

(DEVENDRA VERMA)
Returning Officer